संख्या: 15/2016/317/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2016.

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-4 में प्रविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 3,66,78,70,000/-(रूपये तीन अरब छियासठ करोड़ अठहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अत: आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों तथा इस संबंध में समय समय पर जारी शासनादेशों के स्थाई आदेशों के अंतर्गत जिन मदों पर शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उन मदों पर व्यय तभी किया जाय जब उसमें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ली गयी हो। इस संबंध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या: 15/2016/317(1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।